

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आप.प्रक.क्रमांक 415 / 2012
संस्थित दिनांक-26.09.2012

म.प्र. राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र अंजड, जिला बडवानी -अभियोगी

वि रु द्ध

अभिजीत पिता अशोक कुमार,
उम्र 26 वर्ष, निवासी एम.जी. रोड अंजड,
थाना अंजड, जिला-बडवानी म0प्र0

-अभियुक्त

राज्य तर्फे एडीपीओ	- श्री अकरम मंसूरी ।
अभियुक्त तर्फे अभिभाषक	- श्री एच.सी. बंसल ।

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 19.04.2018 को घोषित)

पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 237 / 2012 अंतर्गत सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 4(क) में दिनांक 11.09.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 11.09.2012 को समय 11:30 बजे, एम.जी. रोड स्थित तुम्हारी हॉटल में अभियुक्त द्वारा लोगों से अंकों के आधार पर हार-जीत का दाव लगाते हुये कल्याण वर्ली का सट्टा लगाते/खाते हुये पाये जाने के संबंध में धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 11.09.2012 को मुखबिर से सूचना मिली, सूचना पर पंचान सुरज एवं प्रधान आरक्षक

// 2 //

आप.प्रक.क्रमांक 415/2012

संस्थित दिनांक-26.09.2012

प्रमोद शर्मा को विधिवत सूचना से आवगत कराकर हमराह लेकर घटना से दूसरी पर से देखा तो काउंटर के पास कुछ लोग खड़े होकर एक व्यक्ति कुछ लिख रहा हुआ दिखा, तभी दबिश देकर लिखने वाले को पकड़ा। जिसके पास से सट्टा पर्ची 6, एक लिड पेन, नगदी 340/- मिले नाम पूछने पर उसने अपना नाम अभिजीत होना बताया था, तथा प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त अभिजीत को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 237/2012 अंतर्गत धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 4 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षी सूरज व प्रमोद कुमार शर्मा के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है एवं बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

4. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि -

क्या दिनांक 11.09.2012 को समय 11:40 बजे, स्थान- एम.जी. रोड स्थित तुम्हारी हॉटल में अभियुक्त द्वारा लोगों से अंकों के आधार पर हार-जीत का दाव लगाकर सट्टा पर्चियों पर अंक पर लिखते हुए पाया गया ? यदि हाँ, तो उचित दंडाज्ञा ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सूरज (अ.सा.1), प्रमोद कुमार शर्मा (अ.सा.2) एवं राम आश्रय यादव (अ.सा.3) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

6. अभियोजन की ओर से घटना के स्वतंत्र चक्षुदर्शी पंच साक्षियों के रूप में सूरज (अ.सा.1) के कथन कराये गये हैं। उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, व अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, पुलिस वाले उससे कागजों पर हस्ताक्षर करवाते रहते हैं, एवं यह भी स्वीकार किया है कि, उसे प्र. पी. 1 व प्र.पी. 2 पर आगूँठा लगाने के पूर्व पुलिस ने पढ़कर नहीं बताया था और उसने भी पढ़े नहीं थे क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि, उससे पुलिस ने हजारों बार कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। अभियुक्त अभिजीत की होटल है, इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा उसे कभी देखने का काम नहीं पड़ा, व उसकी दुकान पर कभी भी पुलिस वालों के साथ नहीं गया। अतएव उक्त साक्षी की साक्ष्य विचारणीय प्रश्न के निराकरण के लिए महत्वहीन है।

7. साक्षी प्रमोद कुमार शर्मा (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया है कि, वह पुलिस थाना अंजड पर प्रधान आरक्षक के पद पर लगभग 3 वर्ष से पदस्थ है। वह उपस्थित अभियुक्त को जानता है, घटना दिनांक 11.09.2012 की है। घटना वाले दिन वह थाने के सहायक उपनिरीक्षक आर.ए. यादव के साथ कस्बा भ्रमण पर था। बस स्टेण्ड अंजड पर उसे सहायक उप निरीक्षक आर.ए. यादव ने बताया कि, एम.जी. रोड पर स्थित हॉटल के काउंटर पर एक व्यक्ति कल्याण, ओपन का सट्टा लिख रहा है, जिसका नाम अभिजीत पिता अशोक बंसल बताया था। सहायक उपनिरीक्षक आर.ए. यादव ने घटना के बारे में साक्षी सूरज पिता चम्पालाल को भी अवगत कराया था, तथा उसे साथ हमराह लेकर गये थे। वह लोग बताये गये स्थान हॉटल के पास पहुंचे थे, उन्होंने थोड़ी दूर से देखा था कि, एक व्यक्ति कल्याण, ओपन का सट्टा लिख रहा था तथा वहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए थे, उन लोगों ने वहां पर दबिश दी थी, जिसमें उपस्थित अभियुक्त अभिजीत को सट्टा लिखते हुए पकड़ा था, जिसके कब्जे से सट्टा अंक लिखी हुई 6 पर्चियां, एक लीड-पेन तथा नगदी 340/- रुपये जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया था, जिसका गिरफ्तारी पंचनामा

प्र0पी0 2 का बनाया था।

8. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि, घटना का दिन उसे याद नहीं है, स्वतः कहा कि, उसे दिनांक मालूम है। उसने दिनांक इसलिये बताया थी, क्योंकि उसने फाईल को आकर पढ़ा था। यह भी स्वीकार किया है कि, थाने पर गश्त के लिये रवाना होने के पूर्व वरिष्ठ अधिकारीगण रोजनामचें में इंड्राज करते हैं, तथा वापसी भी इंड्राज करते हैं। होटल किसके नाम से है, यह उसे नहीं मालूम है, लेकिन होटल पर अशोक बंसल बैठता है। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि, उक्त पैसे अभियुक्त के हाथ में से जप्त किये थे, उस वक्त वह लिखा पढ़ी कर रहा था। उक्त नोटों में से दो नोट 50/- रुपये के तथा 5 नोट 20-20/- के तथा 10-10/- के 14 नोट इस प्रकार कुल 340/- थे। साक्षी द्वारा यह भी बताया है कि, जो लोग सट्टा लिखा रहे थे उनको पकड़ने का प्रयास किया था, किन्तु वह लोग भाग गये थे। उक्त साक्षी के सामने अंक लिखी हुयी 6 चिट्ठियां जप्त की थी। साक्षी सूरज (अ.सा.1) उन्हें बस स्टेण्ड पर मिला था, व जप्ती पत्रक उसी स्थान पर बनाया था। जप्ती पंचनामों पर उसने हस्ताक्षर किये थे, तथा सूरज (अ.सा.1) ने आगूँठा लगाया था। यह भी स्वीकार किया है कि, घटना स्थल के सामने एवं आसपास दुकाने हैं, तथा बाजार है, यह भी स्वीकार किया है कि, जप्ती की कार्यवाही के समय आसपास के लोगों को नहीं बुलाया था, क्योंकि हम लोग उपस्थित थे।

9. साक्षी राम आश्रय यादव (अ.सा.3) ने अपने कथन में बताया है कि, वह दिनांक 11.09.2012 को पुलिस थाना अंजड में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि, अभिजीत बंस एम.जी. रोड स्थित अपनी दुकान होटल पर कल्याण ओपन का सट्टा रुपये पैसे से दाव लगाकर हार-जीत से लिख रहा था। सूचना पर पंच सूरज व प्रधान आरक्षक प्रमोद शर्मा को हमराह लेकर सूचना से अवगत कराकर दबिश दी गयी। मुताबिक सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को सट्टा पाना लिखते हुए पकड़ा गया, नाम पता पूछने पर अपना नाम अभिजीत पिता अशोक बंसल निवासी अंजड बताया। जिसके पास से सट्टा अंक लिखी 6 पर्ची व एक लीड-पेन व नगदी रुपये 340/- मिले। अभियुक्त का कृत्य धारा 4(क) जुआ एक्ट का पाये जाने से उक्त सट्टा उपकरण एवं नगदी रुपये 340/- अभियुक्त के कब्जे से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 01 बनाया गया। जिसके सी से सी भाग

पर उनके हस्ताक्षर हैं। बाद अभियुक्त अभिजीत को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 02 बनाया था। वापसी पर थाने के अपराध कं. 237/12 धारा 4(क) जुआ एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई, जो प्र.पी. 04 है। विवेचना के दौरान साक्षी सूरज और प्र० आरक्षक प्रमोद शर्मा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, अपनी मर्जी से कुछ घटाया बढ़ाया नहीं था। जप्तशुदा 50/- रुपये के दो नोट 20-20 रुपये के पांच नो, 10-10/- रुपये के 14 नोट कुल 340/- रुपये जो आर्टिकल ए है। सट्टा अंक लिखी कुल 6 पर्ची दिनांक 11.09.2012 की आर्टिकल बी है, एक लीड पेन आर्टिकल सी है, अनुसंधान पूर्ण कर केस डायरी थाना प्रभारी को सुपुर्द की थी।

10. घटना दिनांक 11.09.2012 की है। उक्त साक्षी घटना दिनांक को लगभग 10 से 10:15 के मध्य थाने से अकेले रवाना हुये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा थाने से रवानगी का इंड्राज रोजनामचे सान्हा में किया है और वापसी का भी इंड्राज किया है। रवानगी व वापसी के इंड्राज की प्रतिलिपि अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है। यह भी स्वीकार किया है कि, प्रकरण का कायमीकर्ता व अनुसंधानकर्ता वह स्वयं था। वह लगभग 11 से 11:15 के मध्य होटल पर पहुंचा था, उस समय वहां कितने लोग थे मैं नहीं बता सकता हूं, स्वतः कहा कि, उसके पहुंचने पर सट्टा लिखाने वाले लोग भाग गये थे। उक्त साक्षी द्वारा दूर से देखने पर यह पाया था कि, लोग सट्टा पाना लिखा रहे हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि, आर्टिकल बी में जो चीठ है, उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही लिखाने वाले के हस्ताक्षर हैं। जब सट्टे की दबिश देने गया था, तब उसे सूरज बस स्टेण्ड पर मिला था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि, होटल के आसपास कई दुकाने हैं, उसके द्वारा आसपास के लोगों को नहीं बुलाया था और स्वतः कहा कि, ऐसा कहने पर लोग नहीं आते हैं। यह भी स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा उक्त दिनांक को आसपास के लोगो को बुलाने के संबंध में कोई पंचनामा नहीं बनाया था।

11. अब यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के प्रकरण पर विचार किया जाये, तो यह प्रकट होता है कि, घटना के एक मात्र स्वतंत्र पंच साक्षी सूरज (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन के प्रकरण का कोई समर्थन

नहीं किया है, और इसके विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताते हुये, अभियोजन के प्रकरण को संदेहजनक बना दिया है कि, पुलिस ने उससे हजारों बार कागजों पर हस्ताक्षर करवाये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि, अभियोजन के प्रकरण के समर्थन में स्वतंत्र पंच साक्षी की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इसलिये अभियोजन के प्रकरण के समर्थन में विचार किये जाने के लिये दोनो पुलिस साक्षीगण प्र.आरक्षक प्रमोद कुमार शर्मा (अ.सा.2) व अनुसंधानकर्ता राम आश्रय यादव (अ.सा.3) की अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य ही शेष रह जाती है, इस स्थिति में अब यह विचार किया जाना है कि, क्या इन दोनो पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य एक ऐसी साक्ष्य के रूप में है, जिसे अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य के समर्थन एवं सम्पुष्टि के अभाव में भी स्वीकार किया जा सकता है, व जिसके आधार मात्र पर अभियोजन के प्रकरण को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित माना जा सकता है।

12. यद्यपि अभियोजन का प्रकरण यह है कि, अभियुक्त अभिजीत से जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 द्वारा सट्टा अंक लिखी कुल 6 पर्ची, एक लीड-पेन उपकरण एवं नगदी रुपये 340/- जप्त किया गया था। राम आश्रय यादव (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, एक व्यक्ति को सट्टा पाना लिखते हुये पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम अभिजीत पिता अशोक बंसल बताया, जिसके पास से सट्टा अंक लिखी 6 पर्ची व एक लीड पेन व नगदी रुपये 340/- मिले। साक्षी प्रमोद कुमार (अ.सा.2) के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, अभियुक्त अभिजीत को सट्टा लिखते हुये पकड़ा था, उसके कब्जे से सट्टा अंक लिखी हुयी 6 पर्चियां व एक लीड पेन व नगदी रुपये 340/- जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार दोनो साक्षियों ने जप्ती को प्रमाणित किया है, किन्तु जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी राम आश्रय यादव (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि, जप्त किये गये पर्ची में सट्टा किस प्रकार से लगा हुआ था या किस प्रकार से सट्टा अभिलिखित था, व साक्षी प्रमोद शर्मा (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में मात्र यह बताया है कि, उसके सामने अंक लिखी हुयी 6 चिटियां जप्त की थी। पर्ची पर क्या अंक लिखे हुये थे, इसके संबंध में उक्त साक्षी ने कोई कथन नहीं दिये हैं।

13. सट्टा एक प्रकार का गणीतीय प्रकृति का या अंकों का या अंकों के

//7//

आप.प्रक.कमांक 415/2012

संस्थित दिनांक-26.09.2012

संयोग से संबंधित अपराध होता है। जिसमें सट्टा पर्ची में अंक या अंकों के संयोगों(कॉम्बिनेशन) का उल्लेख एक विशेष प्रकार से होता है, और इसलिये अभियोजन के लिये यह आवश्यक होता है कि, पुलिस अधिकारी या अन्य किसी उपयोग साक्षी की कुछ विशेषज्ञ प्रकृति की साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित करें कि, पर्ची में जो अंक या अंकों के संयोग अंकित है, उन अंक या अंकों के संयोगों में सट्टा किस प्रकार से लगा हुआ है या किस प्रकार से अभिलिखित है। इस संबंध में माननीय मध्य भारत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत हरकचंद राधाकिशन एवं एक अन्य विरुद्ध राज्य ए.आई.आर. 1954 मध्य भारत 145 में अभिव्यक्त इस आशय का अभिमत अनुकर्णीय है कि, अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिये कि, जप्तशुदा पर्ची सट्टे से किस प्रकार संबंधित है, और सट्टा किस प्रकार से जप्तशुदा पर्ची में अभिलिखित है, तथा अभियोजन को न्यायालय का यह समाधान भी करना चाहिये कि, जप्तशुदा पर्ची सट्टे का ही एक भाग है।

14. अंतिम तर्क के दौरान अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि, प्रकरण में स्वयं ही कायमीकर्ता स्वयं अनुसंधानकर्ता है तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा घटनास्थल के संबंध में कोई नक्शा मौका पंचनामा नहीं बनाया गया है और न ही घटनास्थल के आसपास के साक्षियों के कथन कराये गये हैं। प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा पुलिस द्वारा खानगी एवं वापसी के संबंध में रोजनामचा सान्हा की प्रमाणित प्रतिलिपि में प्रस्तुत कर प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं कराई गई है, जिससे अभियोजन के तथ्य विश्वसनीय नहीं हैं। अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि स्वयं पुलिसकर्मी साक्षी राम आश्रय यादव (अ. सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में सट्टा किस प्रकार का था तथा सट्टा लगाने की प्रक्रिया के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। अतएव न्यायदृष्टांत कन्नु अहमद खान विरुद्ध म.प्र. राज्य (1970) एम.पी.एल.जे., शार्ट नोट-103 एवं नूर मोहम्मद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1984 विकली नोट, शार्ट नोट-391 के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती है ।

15. न्यायदृष्टांत कन्नु अहमद खान विरुद्ध म.प्र. राज्य (1970) एम.पी.एल.जे., शार्ट नोट-103 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि यदि सट्टा के संबंध में केवल पुलिस अधिकारी के कथन हों व सट्टे का तरीका बताने में समर्थ न हो तो दोषसिद्धि नहीं किया जा सकता है ।

16. प्रकरण में अभियोजन की ओर से न तो घटना के संबंध में रोजनामचा सान्हा प्रदर्शित एवं प्रमाणित कराया गया है और न ही अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा सट्टे के प्रकार एवं प्रक्रिया का कोई उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत कन्नु अहमद खान विरुद्ध म.प्र. राज्य (1970) एम. पी.एल.जे., शार्ट नोट-103 एवं नूर मोहम्मद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1984 विकली नोट, शार्ट नोट-391 के आलोक में अभियोजन के तथ्य शंकास्पद हो जाते हैं। प्रकरण में स्वतंत्र चक्षुदर्शी पंच साक्षी सूरज (अ.सा.1) ने अभियोजन के तथ्यों का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, जिससे प्र. आरक्षक प्रमोद कुमार शर्मा (अ.सा.2) व पुलिस कर्मी अनुसंधान अधिकारी राम आश्रय यादव (अ.सा.3) के असम्पुष्ट कथन अभिलेख पर रह जाते हैं, जो विरोधाभासी होकर अस्पष्ट स्वरूप के हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन के तथ्य शंका से परे प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं। इस संबंध में 1982 किला. रिपोर्टर 284 म.प्र. नोट मुन्ना उर्फ राममनोहर विरुद्ध म.प्र. राज्य एवं 1988 (1)क्राइम्स 172 पवन कुमार विरुद्ध देहली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 के न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं ।

17. अधिनियम की धारा 4 क के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है कि, अभियोजन द्वारा वर्ली,मटका या अन्य किसी प्रकार के सट्टे से संबंधित अंक या संख्या या संकेत या चिन्ह या चित्र या इनके किसी संयोग को छापा गया या प्रमाशित किया गया था, अंगीकृत किया गया, और इस स्थिति में इस प्रकार में अभियोजन द्वारा यह प्रमाणित किया जाना अत्यन्त आवश्यक था कि, जप्ती पंचनामा प्र. पी. 1 के द्वारा जो पर्ची जप्त की गयी थी, उसमें किस प्रकार का सट्टा लगा हुआ था या अभिलिखित था, चूंकि इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि, अभियुक्त से जप्त पर्ची में सट्टा लगा हुआ था या सट्टे से संबंधित अंक लिखे हुये थे, और इस स्थिति में अभियुक्त अभिजीत के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4(क)सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

18. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि, अधिनियम की धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, की उपधारा 2 में यह प्रावधानित है कि, धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, के अपराध में दंडनीय अपराध के विचारण में यह उपधारा की जावे कि, जिसके संबंध में अपराध घटित हुआ है, उसका संबंध वर्ली, मटका या अन्य किसी प्रकार के जुए से है। जब तक अभियुक्त के द्वारा इसके विपरीत सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। किन्तु इस न्यायालय का मत यह है कि, उक्त उपधारा इस संबंध में तभी की जा सकती थी, जब अभियोजन द्वारा अपनी ओर से अपने प्रमाण का भार उन्मोचन करते हुये यह साबित कर दिया जाता कि, जप्तशुदा पर्ची में सट्टा ही अभिलिखित है अर्थात् सट्टे से संबंधित अंक, संख्या, संकेत, चिन्ह या चित्र या उनके किसी संयोग्य ही अभिलिखित है, और चूंकि इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा उक्त तथ्य साबित ही नहीं किया गया है, इसलिये उक्त उपधारा दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

19. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट होता है कि, अभियोजन के प्रकरण के समर्थन में किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इसके विपरीत स्वतंत्र साक्षी सूरज (अ.सा.1) की साक्ष्य से प्रकरण का न केवल खंडन होता अपितु अभियोजन का प्रकरण संदेहजनक भी हो जाता है। इस प्रकरण की उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पुलिस साक्षी प्र.आरक्षक प्रमोद शर्मा (अ.सा.2) व राम आश्रय यादव (अ.सा.3) की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के प्रकरण को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जाता है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है, और इस स्थिति में अभियुक्त को प्रकरण में संदेह का लाभ प्राप्त करते हुये दोषमुक्त होने का अधिकारी है।

20. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलौक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

// 10 //

आप.प्रक.क्रमांक 415/2012

संस्थित दिनांक-26.09.2012

21. प्रकरण में जप्तशुदा कुल 340/- रुपये के संबंध में अभियुक्त ने द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत हुये अपने परीक्षण में या अन्यथा किसी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया है और इस राशि का स्वयं से जप्त होना स्वीकार नहीं किया है, इसलिये यह आदेशित किया जाता है उक्त धन राशि अपील अवधि पश्चात् राजसात हो जायेगी और अपील होने की दशा में माननीय अपीली न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जायेगा एवं प्रकरण में जप्तशुदा एक लीड पेन व अंक लिखी हुयी 6 पर्चियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही/-

सही/-

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

